उत्तर प्रदेश शासन

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2

संख्या-62/2015/572/78-2-2015-70आई.टी./2015

लखनऊः दिनांकः 12 जून, 2015

विशेष सचिव,

संसदीय कार्य अनु0-1,

उ0प्र0 शासन।

मानक के विपरीत मोबाइल टावर स्थापित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में विधान मण्डल के प्रथम सत्र 2015 में मा0 सदस्य श्री कुंवर महावीर सिंह के द्वारा पूछे गये नियम-51 विषयक संसदीय कार्य अनुभाग-1 के अर्द्ध शा0 पत्र संख्या-160(1)/90-सं-1-2015-147स/2007 दिनांक 29.04.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि प्रकरण नगर विकास विभाग को संदर्भित किया गया था, जिसके क्रम में संयुक्त सचिव, नगर विकास अनु0-9 के पत्र संख्या-415/नौ-9-2015-03नियम/15 दिनांक 01.05.2015 को प्रकरण आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है। (छायाप्रति संलग्न) अतः प्रकरण को आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन से विलोपित कर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को आवंटित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

संख्याः 62/2015/572(1)/78-2-2015 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अनु सचिव, विधान सभा, सचिवालय (पटल कार्यालय) को उनके पत्र संख्या-1164/वि0स0/प0का0/14 दिनांक 27.03.2015 के क्रम में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रकरण को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में आवंटित करने का कष्ट करें। प्रकरण आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग से संबंधित नहीं है।
2. संसदीय कार्य अनुभाग-2 ।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in